उत्तराखण्ड (उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2020

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः वर्ष 2020)

275

उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ०प्र० औद्योगिक विस्तार और विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है। प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

धारा—4टअ का 2. उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में अन्तःस्थापन यथाप्रवृत्त) (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4—ट के पश्चात् धारा 4—टअ निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—

"4—टअ धारा 4—ट में किसी बात के होते हुए भी कर्मकार तथा नियोजक के बीच कार्यमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा समाप्ति से संबंधित या उससे उत्पत्र कोई भी विवाद या असहमति औद्योगिक विवाद नहीं माना जायेगा, यदि ऐसा विवाद, ऐसी कार्यमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा—समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं लाया जाता:

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी इस तीन वर्ष की समय अविध में वृद्धि कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थी कर्मकार तीन वर्ष की उक्त अविध के भीतर विवाद को सुलह कार्यवाही में लाये जाने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था।"

धारा 6—ढ का 3. मूल अधिनियम की धारा 6—ढ निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी संशोधन जायेगी, अर्थात्:— "6—ढ मजदूरों की छटनी हेतु शर्ते:—

> (1) किसी उद्योग (उपधारा 2 में उल्लिखित अधिष्ठानों को छोड़कर) में नियुक्त किसी मजदूर की, जो किसी मालिक की अधीनता में एक वर्ष तक अनवरत सेवा कर चुका हो, मालिक द्वारा तब तक

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड



(क) मजदूर को एक महीने का लिखित नोटिस, जिसमें छंटनी के कारण उल्लिखित होंगे, न दे दिया गया हो तथा नोटिस की अविध व्यतीत न हो गई हो, अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के बदले में नोटिस की अविध का वेतन न दे दिया गया हो:

परंतु यह कि जब छंटनी किसी ऐसे करार के अधीन हो जिसमें सेवा के अवसान का दिनांक निर्दिष्ट किया जा चुका हो तो इस प्रकार का नोटिस आवश्यक न होगा।

- (ख) मजदूर की छंटनी के समय प्रतिकर न दे दिया गया हो जो सेवा के प्रत्येक वर्ष के छः महीने से अधिक भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के समकक्ष हो तथा
- (ग) राज्य सरकार पर नियत रीति से नोटिस तामील न कर दी गयी हो।
- (2) किसी ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान (जो कि मौसमी प्रवृत्ति का अधिष्ठान नहीं है या जिसमें मात्र आंतरायिक रूप से ही कार्य होता है) तथा जिसमें गत बारह महीनों में प्रति कार्यदिवस को औसतन तीन सौ या अधिक कर्मकार कार्यरत रहे हों, में नियुक्त किसी मजदूर की, जो किसी मालिक की अधीनता में एक वर्ष तक अनवरत सेवा कर चुका हो, मालिक द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक कि मजदूर को तीन महीने का लिखित नोटिस, जिसमें छंटनी के कारण उल्लिखित होंगे, न दे दिया गया हो तथा नोटिस की अवधि व्यतीत न हो गई हो, अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के बदले में नोटिस की अवधि का वेतन न दे दिया गया हो, एवं,
- (क) राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त न कर ली गई हो।
- (ख) उपधारा (2)(क) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा, और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ—साथ तामील की जाएगी।
- (ग) जहां उपधारा (२)(क) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा समितालय उत्तरास्त्रण्ड



किया गया है, वहां राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियोजक द्वारा कथित कारणों की सत्यता और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी।

- (घ) राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा छंटनी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दशा में संबंधित कर्मकारों को छंटनी लाभों के संबंध में उपधारा (1)(ख) के प्रावधानों का उल्लेख एवं अन्य सभी हितलाभ जोकि संबंधित कर्मकार को तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों में देय हो, का उल्लेख भी आदेश में किया जायेगा।
- (डं) जहां उपधारा (2)(क) के अधीन कोई आवेदन किया गया है और राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियोजक को ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी।
- (च) राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाला आदेश, उपधारा (2)(छ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा।
- (छ) राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (2)(ग) के अधीन अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, निर्दिष्ट कर सकेगाः

परन्तु यह कि जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा।

(ज) जहां उपधारा (२)(क) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा स्विद्यास्थ

किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। 4

- (झ) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों, जैसे उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2)(क) के उपबन्ध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालाविध के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे।
- (ञ) जहां उपधारा (2)(ग) के अधीन, छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या छंटनी की अनुज्ञा उपधारा (2)(ड) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के सम्पूरित वर्ष या उसके ऐसे भाग के जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा:

परंतु यह कि उपधारा (2) के उपरोक्त उपबंध ऐसी दशा में नहीं लागू होंगे जब वह छंटनी किसी ऐसे करार के अधीन हो जिसमें सेवा के अवसान का दिनांक निर्दिष्ट किया जा चुका हो।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय

The Uttarakhand (U.P. Industrial Disputes Act, 1947) (Amendment) Bill, 2020

(UTTARAKHAND BILL NO.

OF 2020)

274

A

Bill

Further to amend the U.P. Industrial Disputes Act 1947 (as applicable in the state of uttarakhand)

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy first year of the Republic of India as follows-

Short title, extent and 1. Commencement

- (1) This Act may be called the The Uttarakhand (U.P. Industrial Disputes Act, 1947) (Amendment) Act, 2020
- (2) It shall extends to the whole state of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette.

Insertion of section 4-KA

- 2. After Section 4-K of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 (as applicable in State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the principal Act), section 4-KA shall be inserted as follows, namely:-
 - "4-KA Notwithstanding anything contained in section 4K, no such dispute or difference between the workman and employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an Industrial dispute if such dispute is not raised in conciliation proceeding within a period of three years from the date of such discharge, dismissal, retrenchment or termination:

प्रमाणित प्रति होक सूचना अधिकारी विधान सभा भन्दपालय

Provided that an authority, as may be prescribed by the State Government, may extend the said period of three years if it is satisfied that the applicant workman was prevented by sufficient cause from preferring the dispute in conciliation proceedings within the said period of three years."

Amendment section 6-N

of 3. Section 6-N of the principal Act, shall be substituted as follows, namely:-

"6-N. Conditions for retrenchment of workmen:

- (1) No workmen employed in any industry (except establishment mentioned in sub-section 2) who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until,-
 - (a) The workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice:

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service:

- (b) The workmen has been paid, at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of service or any part thereof in excess of six months; and
- (c) Notice in prescribed manner has been served on the State Government.
- (2) No workmen employed in any industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) and in which three hundred or more workmen on an average per working day in the preceding twelve months who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until-the workman has been given three months notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and
 - (a) The prior permission of the State Government or such authority as may be specified by the Government by notification in the official gazette (hereafter in this section referred as the specified authority) has been obtained on an application made on this behalf.
 - (b) An application for permission under sub-section (2)(a) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संदिवालय उत्तराजण्ड

retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner.

- (c) Where an application for permission under sub section (2)(a) has been made, the State Government or the specified authority, after making an enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen concerned and the person interested in such retrenchment may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the workmen and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.
- (d) In case where retrenchment application is allowed, the State Government or the specified authority shall also mention in order the retrenchment benefits as mentioned in sub-section (1)(b) and all other benefits due under any law, for the time being in force.
- (e) Where an application has been made under subsection (2)(a) and the State Government or specified authority does not communicate the order granting for refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission for which the application is made shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.
- (f) An order of the State Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall subject to the provisions of sub-section (2)(g) be final and binding on all the parties concerned and shall remain in force for one year from the date of such order.
- (g) The State Government or the specified authority may, either on its own motion or on the application made by employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2)(c) or refer the matter to a Tribunal for adjudication:

प्रमाणित प्रति होक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference.

- (h) Where no application for permission under subsection (2)(a) is made or where the permission for any retrenchment has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of retrenchment was given to the workman and the workman shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force, as if no notice had been given to him.
- (i) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the State Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or the death of the employer or due to other similar cirmumstances, it is necessary to do so, by order, direct that the provisions of sub-section (2)(a) shall not apply in relation, to such establishment for such period as may be specified in the order.
- (j) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section (2)(c) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under sub-section (2)(e), every workman who is employed in that establishment immediately before the date of application for permission shall be entitled to receive at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months:

Provided that the provision of sub-section (2) shall not be applicable in such case where the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service."

प्रमाणित पति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड